5

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या–2/एम०–50/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

राज्य के सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अस्पतालों में रेफरल व्यवस्था के सुदृढीकरण, ICU की क्रियाशीलता एव 24x7 इमरजेन्सी सेवाओ के संचालन हेतु अस्पताल में चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों आदि की उपस्थिति अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिनांक–07.07.2026 से 17.07.2026 तक आहूत हुए बैठक मे सभी चिकित्सको को रोस्टर के अनुरूप कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने का निदेश भी दिया गया है।

अत उक्त क्रम में कमाण्ड एण्ड कन्ट्रॉल सेन्टर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के सभी जिलों मे अवस्थित सरकारी अस्पतालो में रोस्टर के अनुरूप OPD, IPD एवं इमरजेन्सी मे चिकित्सको की उपस्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा। अनुश्रवण के क्रम में कर्त्तव्य से अनुपस्थित चिकित्सकों की सूचना कमाण्ड एण्ड कन्ट्रॉल सेन्टर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। तदालोक मे अनुपस्थित चिकित्सको के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

ह०/–
(कुनार रवि)
सरकार के सचिव

संख्या–2/एम०–50/2026– 1805 (2) /स्वा०, पटना, दिनांक 29/07/2026

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रॉल सेन्टर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार एव सभी चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

28/7/26
सरकार के सचिव।

Des 2>Dhan>Draft>adesh26 Vikash